निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 11 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक, उद्योग निदेशालय, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **निदेशक, उद्योग निदेशालय, देहरादून** के माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस.एस. दरियाल,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक एवं श्री जितेन्द्र तमोली, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 05/05/2017 से 09/05/2017 एवं 16/06/2017 से 22/06/2017 तक श्री अनिल कुमार जैन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ए.एन.साहु (स.ले.प.अ.), श्री नीरज कुमार, लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 04/07/2015 से 08/07/2015 तक श्री एन.के. सिन्हा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2014 से 03/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः औद्योगिक विकास हेतु कार्य करना, सम्पूर्ण उत्तराखण्ड

(ii) (अ) विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `	आधिक्य (+) ☐	बचत (-) ☐	आधिक्य (+) ☐	बचत (-) ☐
2012-13			78775649	78775644	103395000	103395000				
2013-14			83440443	83225891	61952409	61952409				
2014-15			97896613	97395208	79571727	79511797				
2015-16			36375006	35824190	19219200	164692000				
2016-17			54195428	48194327	424412000	358853400				

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष `**	**प्राप्त `**	**व्यय अधिक्य (+) `**	**बचत (-) `**
बजट सिड़कुल को आवंटित की जाती है, तथा उपादानों का वितरण भी उन्ही के द्वारा किया जाता है।					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **C** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में लेनदेन की लेखापरीक्षा, **निदेशक, उद्योग निदेशालय, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक, उद्योग निदेशालय, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 04/2015 एवं 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। **पूंजी उपादान से संबंधित प्रकरण** का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम स्वीकृत उपादान के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13,** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

izLrj 1:- :0 60-00 yk[k dk feF;k ?kks'k.kk ,oa feF;k vfHkys[kksa dks izLrqr dj dsUnzh; ,oa jkT; iwWath fuos"k lgk;rk dk ykHk izkIr djukA

As per the para 11 of Central Capital Investment Subsidy scheme,2003 if the central Government/State government concerned is satisfied that the subsidy or grant to an industrial unit has been obtained by misrepresentation as to an essential fact, furnishing of false information the central government/state government may, after giving opportunity to the unit concerned of being heard, ask the unit to refund the grant or subsidy already received.

Further as para 14 after the receiving the grant or subsidy, each industrial unit shall submit Annual Progress Report to the State Government about its working for a period of 5 years after going into production.

As per Govt. of India guidelines/Instructions cash payment have not been considered. Plant & Machinery acquired after the registration and with-in one year from the date of commencement of commercial Production only has been considered. In bank finance cases fixed capital investment in plant& machinery as per bank appraisal has been considered as eligible for calculating CCISS. On the basis of the above, the amount of 15% subsidy to which you are entitled in determined at Rs. you are entitled in determined at Rs. 30.00 lakhs.

dk;kZy; dh ys[kkijh{kk ds nkSjku dsUnzh; ,oa jkT; iwWath fuos"k miknku i=kofy;ksa dk voyksdu djus ij ik;k x;k fd eSlIZ

¼d½ VsEiyVu MoyilZ izk0 fy0 xzke&HkdjkdksV]rglhy&lYV]ftyk vYeksMk];wfuV&izFke

¼[k½ VsEiyVu MoyilZ izk0 fy0 xzke&HkdjkdksV]rglhy&lYV]ftyk vYeksMk&ckzUp &2

¼x½ ½ VsEiyVu MoyilZ izk0 fy0 xzke&eksgku]rglhy&jkeuxj ftyk uSuhrky ckzUp&AAA

mijksDr nksuksa ;wfuVksa ¼;wfuV izFke] f}rh;½ dks dze"k% m|ksx funs"kky; ds i=kad la[;k 838&lh fnukad 05@6@2014 ds }kjk :0 30-00 ,oa 268&lh fnukad 17@04@2015ds }kjk :0 30-00 yk[k rFkk eS0 VSEiyVu MsoyilZ izk0fy0 ¼;wfuV&3½]xkze eksgku jkeuxj dks dsUnzh; iWawth miknku lgk;rk ;kstuk 2003 m|ksx funs"kky; ds i=kad la[;k 2587 fnukad 18@10@2016 ds }kjk :0 30-00 yk[k dh Lohd`fr iznku dh x;h Fkh A bdkbZ dk iath;u okf.kT; dj foHkkx jkeuxj esa dqDM QwM O;olk; djus ds fy;s 7¼1½ ,oa ¼2½ प्रान्तीय@dsUnzh; esa fnukad 8@6@2011 ls izHkkoh gSA bdkbZ VsEiyVu MoyilZ izk0 fy0 jkeuxj ¼fVu u0 05010980910½ ds Mk;sDVj }kjk okf.kT; dj foHkkx jkeuxj ¼uSuhrky½ esa fnukad 02@01@2014 esa fyf[kr voxr djk;k x;k gS fd mijksDr QeZ dh ब्रान्चें fuEu irksa ij Hkh gSA tksfd dqDM QwM dk gh O;olk; djrh gSA lHkh ब्रान्चों ls gekjh O;kikfjd xfrfof/k;kWa dh tk;sxh],oa izR;sd ब्रान्च ls fcy Hkh VsEiyVu MoyilZ izk0fy0 ds uke ls gh tkjh fd;s tk;sxsA

mijksDr ls Li'V gS]fd izFke bdkbZ ,oa mldh czkUp lEiw.kZ bdkbZ gSA bl lEcU/k esa okf.kT; dj vk;qDr dk;kZy; ds i=kad 322 fnukad 20 अप्रैल 2011 dks oSV vf/kfu;e dh /kkjk &57 ds vUrxZr fn;s x;s fu.kZ; esa Hkh bdkbZ ,oa mldh ?kksf'kr ब्रान्च dks bdkbZ dk gh lEiw.kZ fgLlk ekurs gq,s vyx ls ykHk ugh fn;k x;k gSA bdkbZ }kjk vius O;kikj ds ykHk dks c<kus ds m}s"; ls ckzUpks dks c<k;k tkrk gSA blfy;sa vyx ls iathd`r gksuk t:jh ugh gksrk gSA ubZ bdkbZ ftlds }kjk izFke bdkbZ ls vyx jkT; ljdkj ,oa dsUnz ljdkj dh lapkfyr ;kstukvksa esa n"kk;s x;s iwWath fuos"k ds lkis{k dsUnzh;@jkT; iwWth fuos"k miknku lgk;rk izkIr dh x;h gS]mudksa Hkkjr ljdkj ds i=kad la[;k 3(2)/2008-SPS Dated 25th January 2011 esa

mYyf[kr izko|kuksa ds vuqlkj vyx ls lHkh foHkkxksa esa iathd`r gksuk vfuok;Z FkkA rHkh u;h bdkbZ ds ykHk izklr fd;s tk ldrs gS]vU;Fkk ughA dsUnz ljdkj ,oa jkT; ljdkj }kjk iWwth fuos"k miknku lgk;rk esa izFke bdkbZ }kjk ?kksf'kr ब्रान्चों ij fd;s iwWath fuos"k ij miknku lgk;rk dk ykHk nsus ds fy;s ugh dgk x;k FkkA fu;eksa esa ;g t:j Li'V dgk x;k fd bdkbZ dks ,d gh ;kstuk esa fd;s x;s iwWath fuos"k ij miknku lgk;rk dk ykHk vuqeU; gksxk]bdkbZ ds }kjk vyx & vyx ;kstukvksa esa iathdj.k djkdj izklr fd;s ykHk dh olwyh Hkw jktLo dh HkkWafr izFke bdkbZ ls dj yh tk;sxhA ;gk ij bdkbZ }kjk nksuksa ;kstukvksa esa vyx vyx iathdj.k djkdj feF;k ?kks'k.kk djds rFkk feF;k vfHkys[k]:0 25-50 yk[k bZV ds क्रय fcyksa dks izLrqr djds dsUnzh; iwWath fuos"k lgk;rk ,oa fo"ks'k jkT; iwWth fuos"k lgk;rk dk ykHk dqy :0 60-00 yk[k izklr fd;k x;k gSA ftldh olwyh e; C;kt lfgr fd;s tkus ;ksX; gSA

bl lEcU/k esa foHkkx ls iwNus ij crk;k x;k fd dsUnzh; iwWath fuos"k miknku ;kstuk ,oa jkT; fo"ks'k iwWath fuos"k miknku ;kstuk ds izkfo/kkuksa ds rgr vyx&vyx fof/kd vfLrRo]iathdj.k]vuqKka izklr gksus ij bdkbZ miknku gsrq ik= gksxhA rFkk ;fn dksbZ O;fDr@QeZ@dEiuh nkos ds lkFk izLrqr fcyksa@Hkqxrkuksa vkfn ds lEcU/k esa dksbZ feF;k dFku vFkok xyr lk{; izLrqr djrk gS] rks bdkbZ dks Lohd`r@laforfjr miknku /kujkf"k dk e; C;kt lfgr jktLo olwyh ds lkn`"; olwyh dh tk ldrh gSA

foHkkx }kjk Loa; gh vius mRrj esa Lohdkj fd;k x;k gS fd dsUnzh; iwWath fuos"k miknku ;kstuk ,oa jkT; fo"ks'k iwWath fuos"k miknku ;kstuk ds izkfo/kkuksa ds rgr vyx&vyx fof/kd vfLrRo]iathdj.k]vuqKka izklr gksus ij bdkbZ miknku gsrq ik= gksxhA चूंकि miknku izklr ;wfuVksa }kjk mRrjk[k.M jkT; ds okf.kT; dj foHkkx esa djksckj djus ds fy;s ,d gh iathdj.k djk;k x;k Fkk] tcfd oSV vf/kfu;e 2005 dh /kkjk

3¼7½ ds vuqlkj :0 5-00 yk[k ls vf/kd ds dz; fodz; djus ij bdkbZ dks vyx vyx iathdj.k djuk vfuok;Z FkkA tksfd bdkbZ }kjk नहीं djk;k x;k FkkA साथ ही साथ यूनिट-2 के दावे के संबंध में उद्योग निदेशालय द्वारा आपत्ति की गयी थी।

vr% izdj.k संज्ञान esa yk;k tkrk gSA

Hkkx nks ¼v½

izLrj 2:- :0 90-00 yk[k dh dsUnzh; iwWath fuos"k miknku lgk;rk dk bdkbZ;ksa dh ?kksf'kr ckzUpksa dks vuSfrd Hkqxrku fd;k tkukaA

Vide No. 3(2)/2008-SPS Government of India Ministry of Commerce &Industry Department of Industrial Policy & Promotion (Special Package Section) Udyog Bhawan,New Delhi Dated the,25th January 2011 clarifies that units located in the same khasra number/location/Industrial area would be eligible for the subsidy if they are separate and distinct and registered as such under the relevant State/Central Laws. esa ;g er Li'V djk x;k fd ;fn nks vkS|ksfxd bdkbZ ,d gh [kljk uEcj esa vyx vyx ,d gh djksckj djus ds fy, LFkkfir dh x;h g]S vFkkZr nksuks bdkbZ;kWa dk fof/kd vfLrRo vyx gksa] vkSj og केन्द्र@ljdkj ds dk;kZy; esa vius dkjksckj dks djus ds fy, vyx&vyx iathd`r djk;h x;h gksa rks mu bdkbZ;kWa dks Hkh dsUnzh; iWwth fuos"k miknku ;kstuk का ykHk fn;k tk ldrk हैA ijUrq Hkkjr ljdkj }kjk fnukad 7 tuojh 2003 esa tkjh vf/klwpuk esa ;g dgh Hkh उल्लिखित नहीं fd;k x;k gS] fd izFke bdkbZ dh ?kksf'kr ckzUpksa ij fd;s x;s iwWath fuos"k ij Hkh ;g lqfo?kk vuqeU; gksxhA

1- eS0oh-Vh- vkVks eSU;qQSD;fjax dEiuh izk-fy- IykV la[;k bZ&86 vkS|ksfxd {ks+= cgknjkckn]gfj}kj mRiknu frfFk 10@9@2007@ ,oa eSa oh-Vh-vkVks eSU;qQSDचयfjax dEiuh izk fy0 ckzUp ¼f}rh;½ IykV la[;k Mh&7 vkS|ksfxd {ks= cgknjkckn gfj}kj mRiknu frfFk fnukad 31-3-2010 gSA nksuks bdkbZ;ksa dh ,d gh fVu la[;k gSA okf.kT; dj foHkkx esa दोनों इकाईयों ds djksckj ls lEcfU/kr vds{k.k fjiksVZ ,oa ,d gh fjVZu nkf[ky dh tk tkrh gSaA QeZ ds Mk;sDVj Hkh ,d gS ftuds }kjk okf.kT; dj foHkkx esa fyf[kr :i ls voxr djk;k x;k fd izFke ;wfuV dh czkUp IykaV la[;k Mh&7 vkS|ksfxd {ks=

cgknjkckn gfj}kj esa gSa ftlds vk/kkj ij gh vflLVsUV dfe"uj @fMIVh dfe"uj }kjk iwoZ esa tkjh iath;u izek.k&i= esa vyx ls ckzUp dks c<k;k x;k gSaA

2- eS0 gSoYl इण्डिया fy0 ¼;wfuV izFke½ IykaV la[;k&2,]lSDVj10]vkbZvkbZbZ] flMdqy]jkuhiqj gfj}kj esa gh fLFkr gSA bdkbZ dh mRiknu frfFk o'kZ 2005 gS tcfd f)rh; bdkbZ dh mRiknu frfFk 18@01@2010@gSA दोनों bdkbZ;ksa dh ,d gh fVu la[;k gSA okf.kT; dj foHkkx esa nksukss bdkbZ;ks ds djksckj ls lEcfU/kr vds{k.k fjiksVZ ,oa ,d gh fjVZu nkf[ky dh tk tkrh gSaA QeZ ds Mk;sDVj Hkh ,d gS ftuds }kjk okf.kT; dj foHkkx esa fyf[kr :i ls voxr djk;k x;k fd izFke dh f)rh; ;wfuV¼ckzUp½ IykaV la[;k&2,]lSDVj10]vkbZvkbZbZ] flMdqy]jkuhiqj gfj}kj esa gh fLFkr gSA ftlds vk/kkj ij gh vflLVsUV dfe"uj @fMIVh dfe"uj iwoZ esa tkjh iath;u izek.k&i= esa vyx ls ब्रान्च dks c<k;k x;k gSaA

3- eS0 thul bUuksos"ku fy-]IykaV la[;k&10 lSDVj&2 vkbZ-vkbZ-bZ- flMdqy gfj}kj @rFkk eS0 thul bUफ्राLVDplZ fy-] ¼ckzUp½IykaV la[;k&9 lSDVj&2 vkbZ-vkbZ-bZ- flMdqy gfj}kj esas fLFkr gSA izFke bdkbZ dh mRiknu frfFk 31@5@2010 gSA tcfd f}rh; bdkbZ dh mRiknu frfFk 22@3@2010@gSA दोनों bdkbZ;ksa dh ,d gh fVu la[;k gSA okf.kT; dj foHkkx esa nksukss bdkbZ;ks ds djksckj ls lEcfU/kr vds{k.k fjiksVZ ,oa ,d gh fjVZu nkf[ky dh tk tkrh gSaA QeZ ds Mk;sDVj Hkh ,d gS ftuds }kjk okf.kT; dj foHkkx esa fyf[kr :i ls voxr djk;k x;k fd izFke dh f)rh; ;wfuV IykaV la[;k&2,]lSDVj10]vkbZvkbZbZ] flMdqy]jkuhiqj gfj}kj esa gh fLFkr gSA ftlds vk/kkj ij gh vflLVsUV dfe"uj @fMIVh dfe"uj iwoZ esa tkjh iath;u izek.k&i= esa vyx ls ckUp dks c<k;k x;k gSaA

ckzUpksa dks fn;s tkus okys ykHk ds lEcU/k esa loZJh एंकर bySDV`hdy izk0fy0 प्लांट la[;k 1,&1ch lsDVj 8ch flMdqy gfj}kj ds lecU/k esa oSV vf/kfu;e 2005 dh /kkjk 57 ds ikfjr fu.kZ; fnukad 28 vizsy 2011 esa Li'V dgk x;k fd izFke bdkbZ ds vfrfjDr mldh vU; ?kksf'kr bdkbZ;kWa¼ckzUpsa½tks izFke bdkbZ ds fy;s gh tkWac odZ dk dk;Z djrh gS] izFke bdkbZ dk gh lEiw.kZ fgLlk gksrh gSAblfy;s mUgsa vyx ls ykHk ugh feysxkA blfy;s izFke bdkbZ;ksa dh ckUpksa esa foLrkjhdj.k ds fy;s fd;s x;s iwWath fuos"k ij iqu% dsUnzh; iwWath fuos"k lgk;rk dk dqy Hkqxrku :0 90-00 yk[k fd;k tkuk Hkkjr ljdkj }kjk tkjh vf/klwpuk esa mYyf[kr izko|kuksa ,oa fnukad 25 tuojh 2011 esa tkjh vkns"k ds foijhr FkkA blfy;sa ckUpksa dks Hkqxrku dh x;h /kujkf"k mudh izFke bdkbZ;ksa ls e; C;kt lfgr Hkw&jktLo dh भांति olwyh djus ;ksX; gSA

bl lecU/k esa foHkkx ls iwNus ij crk;k x;k fd bdkb;ksa dks iSu uEcj ds vk/kkj ij gh fVu uEcj vkoafVr fd;k tkrk gSA ,d bdkbZ dk ,d gh iSu uEcj gksus ds dkj.k vyx&vyx fVu uEcj vkoafVr नहीं fd;s tk ldrs gSA

foHkkx dk mRrj ekU; ugh gS] क्योंकि tc bl mRrj ds lEcU/k esa iqu% iqLrd la[;k 506 ds vkfMV eseksa Kki la[;k 03 tkjh dj iwNk x;k fd miyC/k djk;h x;h tkudkjh ds lefFkZr vfHkys[kksa dh Nk;kizfr;kWa miyC/k करायें] rks iqu% crk;k x;k fd jkT; esa fdlh Hkh izksijkbZVj@lk>snkjh QeZ@dEiuh dks jkT; esa O;kikj gsrq ,d gh okf.kfT;d dj iathdj.k@fVu la[;k vkoafVr dh tkrh gSA foHkkx ds ikl ,slk dksbZ vkns"k ;k Kki miyC/k नहीं gS]ftlesa ,d gh O;fDr @QeZ@dEiuh dks jkT; esa viuh nwljh ;k vU; bdkbZ;ksa dks O;kikj ds fy, vyx ls fVu uEcj izkIr djus dk izkfo/kku fd;k x;k gSA tcfd mRrjk[k.M oSV vf/kfu;e 2005 dh /kkjk 3¼7½esa Li'V dgk x;k fd ;fn fdlh O;kSgkjh dk okf'kZd VuZ vksoj :0 5-00 yk[k ls vf/kd gksxk]

rks mldks iath;u ysuk vfuok;Z gSA foHkkx dh ys[kkijh{kk ds nkSjku tkjh iqLrd la[;k 506 ,oa vkfMV esaeksa Kki la[;k 2 esa Hkh fyf[kr voxr djk;k x;k FkkA foHkkx }kjk bdkbZ;ksa dh ?kksf’kr ब्रान्चों dks vuSfrd ykHk igqpkus ds m}s”; ls ;g dguk fd ,d gh iSu ij ,d gh fVu la[;k vkoafVr dh tkrh gSA ;g dFku xyr gS] क्योंकि vk;dkj foHkkx }kjk QeZ ds uke ls iSu la[;k vkoafVr dh tkrh gS] rks okf.kT; dj foHkkx }kjk QeZ ds uke ls fVu la[;k vkaofVr dh tkrh gSA बशर्ते कि nksuksa ds }kjk viuh vk;@O;; ,oa क्रय विक्रय vyx vyx ?kksf’kr fd;s x;s gksA

vr% izdj.k laKku esa yk;k tkrk gSA

भाग दो (ब)

प्रस्तर 1- रु0 446.62 लाख का केंद्रीय पूंजी निवेश उपादान के सापेक्ष अनियमित स्वीकृति/वितरण ।

As per the Government of India Ministry of Commerce & Industry (Department of Industrial Policy&Promotion) Notification New Delhi,the 4th February 2014 bearing F.No.2(1)/2013-SPS, The Central Investment Subsidy Scheme 2013 provides in Para No. 6 that the industrial unit registered before 07-01-2013 under the erstwhile scheme of subsidies and have filed the claims within one year from the date of commencement of commercial production/operation would be eligible for subsidies under erstwhile scheme. Units which have registered on or after 07-01-2013 would be covered under the present scheme.

Further,The Government is pleased to notify the extension of the following scheme of Central Grant or Subsidy under Special Package –II for Industrial units in the states Uttarakhand with a view to accelerating the industrial development in these States.

As per the Para -4 of the notification All new industrial units and existing industrial units on their substantial expansion, would be eligible for Capital Investment Subsidy @ 15% of investment of Plant & Machinery, subject to a ceiling of Rs- 30 lakhs, Micro, Small and Medium enterprises would be eligible for Capital Investment Subsidy @ 15% of the investment in plant & machinery subject to a ceiling of Rs. 50 lakh.

As per the Para- 11 of the notification A unit can avail subsidy only under a single scheme, either from the central Government or from the state Government. A unit seeking subsidy should certify that it has not obtained or applied for subsidy for the same purpose or activity from any other Ministry or Department of the Government of India or State Government.

Vide No. 3(2)/2008-SPS Government of India Ministry of Commerce &Industry Department of Industrial Policy & Promotion (Special Package Section) Udyog Bhawan,New Delhi Dated the,25th January 2011 clarifies that units located in the same khasra number/location/Industrial area would be eligible for the subsidy if they are separate and distinct and registered as such under the relevant State/Central Laws.

dsUnzh; iwWath fuos"k miknku ;kstukUrxZr fnukad 07@01@2013 foLrkjhdj.k ds iwoZ dqy 15 bdkbZ;k iathd`r Fkh उक्त 15 इकाइयो को dqy :0 3,25,61,360.00 **dk miknku forj.k** नई इकाई के रूप में **fd;k x;k Fkk mUgh 15 bdkbZ;ksa dks fnukad 07@01@2013 ds ckn foLrkjhdj.k ij :0**

4,46,61,734.00 **Lohd`r fd;s x;sA mDr bdkbZ;ksa dk fooj.k layXu gS tksfd mYyf[kr izLrj la[;k 6 ds fo:} FkhA D;ksfd mDr bdkbZ;kWa fnukad 07@01@2013 ds iwoZ dsUnzh; iwWath fuos"k miknku ;kstuk 2003 ds vUrxZr iathd`r FkhA**

आगे उल्लिखित प्रस्तर 11 के अनुसार भी जब किसी इकाई को एक बार राज्य या केंद्र द्वारा उपादान दी जाती है, तो पुनः किसी भी योजनांतर्गत दुबारा उपादान का लाभ नहीं दिया जाना है, इसके विपरीत उद्योग निदेशालय, देहरादून द्वारा संस्तुत तथा निदेशालय/राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत कर 15 इकाइयो को दो-दो बार उपादान स्वीकृत/वितरित की गई, जो कि उल्लिखित नियमों के विरुद्ध है ।

इसे इंगित करने पर विभागीय उत्तर में बताया कि "उक्त इकाइयों को केंद्रीय पूंजी निवेश उपादान योजना-2003 के प्रविधानों के तहत नई इकाई के रूप में तथा केंद्रीय पूंजी निवेश उपादान योजना-2013 के प्रविधानों के तहत विद्यमान इकाई के पर्याप्त विस्तारीकरण के रूप में उपादान स्वीकृत नियमतः की गई है। नई इकाई के रूप में प्लांट व मशीनरी के जिन मदों को उपादान हेतु गणना में लिया गया था उन्हें विस्तारीकरण के अंतर्गत उपादान हेतु गणना में नहीं किया गया है। विस्तारीकरण के अंतर्गत इकाई द्वारा नई प्लांट व मशीनरी पुनः अर्जित की गई है। "

विभागीय उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि केंद्रीय उपादान योजना-2013 केंद्रीय उपादान योजना के विस्तारीकरण के रूप में भारत सरकार द्वारा दिनांक 04 फरवरी, 2014 को अधिसूचित किया गया था । इस अधिसूचना के प्रस्तर-6 के अनुसार जो इकाई दिनांक 07-01-2013 के पूर्व केंद्रीय उपादान योजना-2003 के अंतर्गत पंजीकृत थी तथा उस योजना के अंतर्गत उपादान हेतु दावा प्रस्तुत किया था उन्हें उसी योजना के अंतर्गत उपादान दिये जाने हेतु पात्रता थी । प्रश्नगत 15 इकाइयों को उस योजना के अंतर्गत उपादान वितरित किया गया था जबकि ऐसी इकाइया जो दिनांक 07-01-2013 को या उसके बाद केंद्रीय उपादान योजना-2013 के अंतर्गत पंजीकृत थी, उनको इस विस्तारित योजना के अंतर्गत उपादान हेतु पात्रता थी । चूंकि प्रश्नगत 15 इकाइया पूर्व की योजना में पंजीकृत थी एवं इसके अंतर्गत उपादान भी प्राप्त था, ऐसे में पूर्व की योजना में पंजीकृत इकाइयों को पुनः विस्तारित योजना 2013 में दुबारा पंजीकरण की पात्रता नहीं रखती थी।

इस प्रकार योजना के शर्तो के विपरीत पुनः उन्ही इकाइयो को दुबारा केंद्रीय पूंजी निवेश उपादान रु0 446.62 लाख स्वीकृत किया गया है, जिन्हें पूर्व में ही उपादान का लाभ दिया गया था ।

अतः रु0 446.62 लाख अनियमित स्वीकृत किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग दो – (ब)

प्रस्तर 2: ` 3135.38 लाख से निर्माणाधीन ग्रामीण हाट का अनियमित निर्माण कार्य करवाया जाना ।

कार्यालय उद्योग निदेशालय, देहरादून की लेखापरीक्षा के दौरान नाबार्ड की आरआईडीएफ योजना के अंतर्गत एमएसएमई ग्रामीण हाट निर्माणार्थ, देहरादून, भीमतल्ला, काशीपुर एवं पिथौरागढ़ हेतु (क्रमश: रु0 686.29 लाख, रु0 798.01 लाख, रु0 1266.93 लाख एवं रु0 384.15 लाख) कुल रु0 3135.38 लाख की स्वीकृति क्रमशः शासनादेश संख्या 1848/VII-2-16/02-एम0एस0एम0ई0/2015 टी0सी0 1 दिनांक 09 दिसंबर, 2016, संख्या 1934/VII-2-16/02-एम0एस0एम0ई0/2015 दिनांक 09 दिसंबर, 2016, संख्या 1935/VII-2-16/02-एम0एस0एम0ई0/2015 दिनांक 09 दिसंबर 2016 एवं संख्या 1125/VII-2/49-एम0एस0एम0ई0/2016 दिनांक 22 जुलाई, 2016 द्वारा प्रदान की गई थी, प्रश्नगत कार्यार्थ गठित

एमओयू के अनुसार कार्य 16 माह में उल्लिखित समय सारणी के अनुसार 4 माह मे 25%, 8 माह मे 50%, 12 माह मे 75% एवं 16 माह मे 100% अर्थात कार्य पूर्ण किया जाना था। जिसके सापेक्ष टीएसी उपरांत वर्ष 2016-017 तक कुल ` 922.25/- लाख कार्यदायी संस्था उत्तरप्रदेश निर्माण निगम लिमिटेड को अवमुक्त किया गया था, के सापेक्ष मार्च 2017 की मासिक प्रगति प्रतिवेदनानुसार कुल रु0 619.58/- लाख व्यय किया जाना दिखाया गया है। वर्ष 2017-018 में पिथौरागढ़ एवं देहारादून को (क्रमशः `175.00 एवं `325.00) `500.00 लाख अवमुक्त की गई थी, इस प्रकार मई, 2017 तक कुल (`922.25+`500.00) `1422.25 लाख अवमुक्त की गई थी, के सापेक्ष माह मई, 2017 के मासिक प्रगति प्रतिवेदनानुसार कुल `367.45 लाख ही व्यय किया जाना दिखाया गया था, जबकि माह मार्च, 2017 की प्रगति प्रतिवेद्रानुसार कुल व्यय `619.58 लाख दिखाया गया था अर्थात माह मार्च, 2017 में अधिक एवं माह मई, 2017 में कम व्यय दिखाया गया है, प्रश्नगत 04 जिलो मे से मात्र पिथौरागढ़ के द्वारा मार्च, 2017 के सापेक्ष माह मई, 2017 तक `32.82 लाख अधिक व्यय किया जाना दिखाया है। अन्य जिले देहरादून, उधम सिंह नगर एवं चमोली द्वारा क्रमशः `110.00 लाख, `119.82 लाख एवं `55.13 लाख कम व्यय किया जाना दिखाया गया है।(विवरण पत्र **ब**) यह उल्लेखनीय है कि उधम सिंह नगर में हाट निर्माणार्थ कार्यदायी संस्था को ` 380.00 लाख अवमुक्त किया जा चुका था, के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा प्रतिवेदित मासिक प्रगति प्रतिवेदन (मार्च, 2017) के अनुसार अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ` 200.00 लाख व्यय किया जाना दिखाया गया है। तत्पश्चात मई, 2017 के मासिक प्रतिवेदनानुसार मात्र ` 80.18 लाख व्यय किया जाना दिखाया गया है अर्थात मार्च, 2017 में ` 200.00 लाख व्यय किया जा चुका था तो, फिर मई, 2017 में व्यय घटकर `80.18 लाख कैसे हो सकता हैं।(विवरण पत्र **ब**) इसी संबंध में कार्यालय महाप्रबंधक, उधम सिंह नगर का दिनांक 24/05/2017 का पत्र जो कि उत्तर-प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, लिमिटेड को प्रेषित एवं निदेशक उद्योग को पृष्ठांकित है, के अनुसार कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य होना नहीं पाया गया है, जो कि एमओयू का उल्लंघन होना बताया है। इसके बाद भी निदेशालय स्तर से कार्यदायी संस्था द्वारा प्रतिवेदित विरोधाभाषी आकडों एवं तत्थों की समीक्षा/जांच कर कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं, यदि प्रतिवेदित, प्रतिवेदनों की जाँच/समीक्षा ही नहीं की जाती है तो, फिर प्रतिवेदनों को प्रतिवेदित किए जाने का क्या औचित्य है जबकि कार्यदाई संस्था के द्वारा प्रतिवेदित आकडें स्पष्ट रूप से वित्तीय अनियमितता की ओर इंगित करता है। इसी प्रकार के अनियमितताओं के कारण उत्तराखंड शासन के द्वारा कार्यदायी संस्था के द्वारा विगत 05 वर्षो में विभिन्न विभागों में किए गये निर्माण कार्यों की विशेष संपरीक्षा किए जाने का निर्णय लिया गया (अप्रैल, 2017) है, फिर भी उच्चाधिकारियों के द्वारा यथौचित कार्यवाही नहीं की गई है। जिन जिलों में हाट का कार्य निर्माणाधीन है उन सभी जिलों में महाप्रबंधक तैनात है जो आहरण एवं वितरण (डीडीओ) हेतु अधिकृत है इसके बाद भी प्रश्नगत कार्यार्थ धनराशियां निदेशालय स्तर पर आहरित कर सीधे बिना महाप्रबंधक के संज्ञान में लाये ही कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जा रही है। जब निर्माण कार्य जिलो में किये जा रहे हैं और धनराशियां निदेशालय स्तर से आहरित और वितरित की जा रही है, तो फिर जिलो में आहरण वितरण अधिकारियों की तैनाती का क्या औचित्य है। जिस कारण से निर्माण कार्यों की सही से प्रभावशील नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण नहीं हो पा रही है। बिना पूर्व में अवमुक्त धनराशियों के उपयोग किए ही द्वितीय किस्त अवमुक्त किया जाना (अर्थात कुल अवमुक्त `1422.25 लाख के सापेक्ष्य ` 367.45 लाख ही उपयोग किया गया) इसका उदाहरण है।(विवरण पत्र संलग्न **ब**)एमओयू के शर्तानुसार (1422.25-367.45) `1054.80 लाख अप्रयुक्त है, जिसमे ब्याज एवं देरी के लिए अर्थदंढ आरोपित कर वसूला नहीं गया है। कार्यदायी संस्था के द्वारा प्रेषित मासिक प्रतिवेदनानुसार आतिथि तक यथा निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्य संपादित नहीं की गई है अर्थात एम0ओ0यू0 की शर्तानुसार 1136.82 लाख व्यय किया जाना था, जबकि

कार्यदाई संस्था द्वारा मात्र ` 367.45 लाख ही ब्यय किया जाना दिखाया गया है। (विवरण पत्र संलग्न **अ**) उक्तलिखित आनियमितताओ को संज्ञान में लाये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि ***"प्रकरण की जांच कर कार्यवाही की जाएगी एवं यथाशीघ्र जांच कारवाई जाएगी"।*** विभाग की उत्तर से स्पष्ट है कि एमओयू के शर्तातानुसार कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है अर्थात विभाग के द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा प्रेषित प्रगति प्रतिवेदनों की समीक्षा/जांच ही नहीं की गई है, जो कि गंभीर बित्तीय अनियमितता का ध्योतक है। अतः `3135.38 लाख से निर्माणाधीन ग्रामीण हाट का अनियमित निर्माण कार्य करवाया जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1- दो विभागाध्यक्ष घोषित किया जाना ।

कार्यालय उद्योग निदेशालय, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाया कि उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग संख्या:166/xxvii(7)/2008 देहरादून: दिनांक 29 अप्रैल,2008 के कार्यालय ज्ञाप के विभागाध्यक्षों की सूची के क्रमांक 3 के अनुसार समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखंड शासन एवं क्रमांक 28 के अनुसार निदेशक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखंड, देहरादून दोनों ही एक ही विभाग के विभागाध्यक्ष घोषित किए गए है । लेखापरीक्षा में दो विभागाध्यक्ष रहते हुये विभागाध्यक्ष के अधिकारों के प्रयोग के संबंध में पूछे जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि "शासनादेश संख्या 43/VII-I/59-उद्योग/201 दिनांक 6 जनवरी द्वारा अपर सचिव सूक्ष्म लघु उद्यम, निदेशक उद्योग नामित किए गए है, तदनानुसार उक्त शासनादेशानुसार प्रमुख सचिव के स्थान पर अब अपर सचिव निदेशालय हेतु निदेशक नामित है और विभागाध्यक्ष के रूप में एक ही अधिकारी नामित है" ।

विभागीय उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग के उत्तर में जिस कार्यालय ज्ञाप का संदर्भ लिया गया है, वह औद्योगिक विकास विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम विभाग के रूप में अलग-अलग सचिव/प्रमुख सचिव के रूप में कार्य विभाजन किया गया है परंतु प्रमुख सचिव/सचिव एवं निदेशक दोनों के ही विभागाध्यक्ष के होने पर न ही कोई परिवर्तन हुआ है न ही कोई प्रभाव पड़ा है ।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

Hkkx nks ¼c½

izLrj 3: :0 25◦00 yk[k dk bdkbZ dks vfu;fer miknku Lohd`r fd;k tkukA

विशेष राज्य पूंजी निवेश उपादान सहायता योजना नियमावली 2008 के प्रस्तर 5(2)(2) के अनुसार प्रदेश के स्थायी एवं मूल निवासियों के अतिरिक्त अन्य उधमियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले नए उद्यमो को कार्यशाला भवन, मशीनरी, सायंत्र एवं उपकरणो में किए गए अचल पूंजी निवेश का 20%, अधिकतम रु0 25.00 लाख तक उपादान सहायता की पात्रता होगी एवं

प्रस्तर 10(1) के अनुसार किसी उद्यम में उपादान हेतु किसी आवश्यक तत्थ के बारे में मिथ्या कथन, मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की है तो प्रस्तर 11(1) के अनुसार उपादान सहायता की वसूली एकमुश्त तथा भू-राजस्व के सदृश्य 18% ब्याज सहित की जा सकेगी ।

dk;kZy; dh ys[kkijh{kk ds nkSjku ik;k x;k fd eSllZ Jh gjs d`'.k eSVy b.MLV`ht] dksV}kj]fVu u0 05014244572 fofuekZrk & dkij ,oa ,Y;qewfu;e ok;j dks o'kZ 2016&17 esa राज्य iwWath fuos"k miknku ;kstuk 2008 ds vUrxZr foRrh; o'kZ 2014&15 esa प्लांट ,oa e"khujh :0 61]87]836-00 ,oa भवन :0 83]00]000-00 dqy LFkk;h fofu;kstu :0 1]44]87]836-00 ds lkis{k :0 25-00 yk[k dk miknku Lohd`r fd;k x;k FkkA bZdkbZ dk mRiknu fnukad 30@9@2014 ?kksf'kr fd;k x;kA

bZdkbZ }kjk dkWij ,oa ,Y;qewfu;e ok;j ds fuekZ.k¼lkbt jsat 8 ,e0,e0 ls 0-001 ,e0,e0½ mDr gsrq izkjfEHkd dPps eky dh [kjhn lquhy ,ydksi इण्डस्ट्रीज vyoj jktLFkku ok;k buokbl la[;k 063 fnukad 10@7@2014 ls dkWij ok;j jkSM 8 ,e0,e0 :0 10]88]488-00 n"kkZ;h x;hA bl izdkj bZdkbZ }kjk tks dPpk eky [kjhnk x;k og mldk mRikn FkkA ,sls esa tc dPpk eky ,oa mRikn esa dksbZ vUrj ugh gS rks og fofuekZ.kd bZdkbZ dSls gSA fofuekZ.k u djus dh ifjfLFkfr esa iwWath fuos"k miknku dh Lohd`fr dk vkSfpR; gh ugh FkkA D;ksfd tc bl lEcU/k esa okf.kZT; dj foHkkx dksV}kj ls ?kksf'kr lykaV ,oa e"khujh dk o'kZ 2014&15¼fnukad 30@9@2014½ dk lR;kiu djus ij s ik;k x;k fd bdkbZ }kjk mRiknu ?kksf'kr frfFk rd dsoy :0 39]48]544-00 dh gh lykaV ,oa e"khujh dk क्रय fd;k x;k FkkA vr% bdkbZ }kjk :0 22]39]292-00(6187836 – 3948544) vf/kd dh lykaV ,oa e"khujh dh feF;k ?kks'k.kk djds iwWth miknku dk सहायता izkIr fd;k x;k FkkA

bl lEcU/k esa foHkkx Is iwNus ij crk;k x;k fd fu;ekoyh esa jkT; iwWath fuos"k nkok dh Lohd`fr gsrq okf.kT; dj foHkkx dk vafre dj fu/kkZj.k vkns"k layXu fd;s tkus dk izkfo/kku नहीं gSA

foHkkxh; mRrj ekU; नहीं gS] D;ksfd fo"ks'k jkT; iwWath fuos"k miknku fu;ekoyh ds vuqlkj miknku हेतु किसी आवश्यक तत्थ के बारे में मिथ्या कथन, मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की है तो प्रस्तर 11(1) के अनुसार उपादान सहायता की वसूली एकमुश्त तथा भू-राजस्व के सदृश्य 18% ब्याज सहित की जा सकेगी । इस प्रकार fu;ekoyh esa mYyf[kr fu;eksa dk Li'V mYy?kau FkkA blfy;s bdkbZ ls :0 25-00 yk[k miknku dh olwyh 18 izfr"kr C;kt lfgr tek frfFk rd olwyh ;ksX; gSA

vr% izdj.k laKku esa yk;k tkrk gSA

भाग दो (ब)

प्रस्तर 4 : विशेष राज्य पूंजी निवेश उपादान नियमावली में उद्यम को उत्पादनरत रहने की न्यूनतम अवधि के संबंध में अस्पष्ट/संदिग्ध प्रावधान ।

कार्यालय निदेशक, उद्योग निदेशालय, देहरादून की लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रो हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2008 (यथा संशोधित-2011) के अंतर्गत विशेष राज्य पूंजी उपादान सहायता योजना नियमावली-2008 के प्रस्तर-10(1) के अनुसार "उद्यम प्रारम्भ होने से 10 वर्ष के अंदर उत्पादन बंद कर देता है, तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह उद्यम को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत उपादान सहायता वापिस करने पर विचार कर सकते है" एवं प्रस्तर-11(1) के अनुसार "प्रस्तर -10(1 से 4) का अनुपालन न होने पर उपादान सहायता की वसूली एक मुश्त तथा भू-राजस्व वसूली के सदृश्य 18% ब्याज सहित की जा सकेगी। "

विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली-2008 के प्रस्तर-9 अचल पूंजी निवेश के प्रविधान के अंतर्गत वर्तमान प्रविधान-2 के स्थान पर यथा संशोधित नीति-2011 के संशोधन के अनुसार उपादान की पात्रता के लिए इकाई की कार्यशाला हेतु आवश्यक भवन का पंजीकृत किरायानामा पूर्व के न्यूनतम अवधि 15 वर्ष के स्थान पर 7 वर्ष निर्धारित होगी। साथ ही इकाई को कम से कम 03 वर्ष तक उत्पादनरत रहना आवश्यक होगा, भी संशोधित नीति-2011 मे भवन संदर्भ के अंतर्गत जोड़ा गया ।

उक्त संशोधित नीति-2011 मे भवन के सापेक्ष इकाई को कम से कम 03 वर्ष तक उत्पादनरत रहना आवश्यक होगा, जोड़ा गया जबकि इस तरह का कोई प्राविधान भवन के अंतर्गत नहीं था, साथ ही विशेष राज्य पूंजी उपादान सहायता योजना नियमावली-2008 के प्रस्तर-10/11(1) के अनुसार "उद्यम प्रारम्भ होने से 10 वर्ष के अंदर उत्पादन बंद कर देता है" तो राज्य सरकार उपादान सहायता की वसूली भू-राजस्व वसूली के सदृश्य 18% ब्याज सहित की जा सकेगी इस प्राविधान मे संशोधित नीति-2011 मे कोई संशोधन नहीं किया गया है। अतः इस संशोधित नीति के कारण यह स्पष्ट नहीं होता है कि इकाई का उपादान सहायता वापस न करने हेतु इकाई को उत्पादनरत रहने की न्यूनतम अवधि क्या होगी । फलस्वरूप राज्य अचल पूंजी निवेश के संबंध में उद्यम के उत्पादनरत रहने की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष या 10 वर्ष होगी, के संबंध में अस्पष्ट/संदिग्ध नियमावली की तरफ इंगित करता है ।

लेखापरीक्षा आपत्ति के संबंध मे विभाग ने उत्तर में बताया कि "संशोधन के फलस्वरूप किसी भी इकाई के मामले में उत्पादन रहने की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष लागू होगी" । विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विशेष राज्य पूंजी उपादान सहायता योजना नियमावली-2008 के प्रस्तर-10(4) के अनुसार "उद्यम को व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात न्यूनतम 10 वर्ष तक अपना उद्यम चालू रखना होगा। इन नियमों 10(1)/10(4)/11(1) में कोई संशोधन नहीं किया गया है ।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 5: केंद्रीय पूंजी निवेश उपादान योजना-2013 के प्रस्तर 5 की गलत व्याख्या कर उपादान का अनियमित वितरण ।

Vide Government of India, Ministry of Commerce & Industry (Department of Industrial Policy & Promotion) Notification New Delhi, the 4th February, 2014 F.No.2(1)/2013-SPS. The Government of India is pleased to notify the extension of the following scheme of Central Grant or Subsidy under Special Package –II for Industrial units in the states Uttarakhand with a view to accelerating the industrial development in these States.

As per para 4 of the above notification All new industrial units and existing industrial units on their substantial expansion, would be eligible for Capital Investment Subsidy @ 15% of investment of Plant & Machinery, subject to a ceiling of Rs- 30 lakhs, Micro, Small and Medium enterprises would be eligible for Capital Investment Subsidy @ 15% of the investment in plant & machinery subject to a ceiling of Rs. 50 lakh.

As per para 5 of the above notification The subsidy will be available for the duration of the scheme to such units which have pre-registered and commence commercial production/operation prior to 31-03-2017. The unit should file its claim as per prescribed procedure at District Industy Centre concerned within one year from date of commencement of commercial production/operation.

As per the notification components to be included for computing the value of Plant & Machinery:

i- Cost of Industrial Plant & Machinery including taxes and duties i.e. cost of mother production equipment used for carrying out manufacturing activities.

फा॰स.9(17)/2012.स्पे॰पैकेज भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (उद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) 378, उद्योग भवन, नई दिल्ली। दिनांक: 22 अप्रैल, 2015 के कार्यालय ज्ञापन के प्रस्तर 3(ब) के अनुसार हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड मे लागू 2003 के पैकेज मे सभी विचारधीन दावों के मामलों में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से एक वर्ष तक, जो की दावा प्रस्तुत करने की तिथि है, किए गए निवेश को उपादान के योग्य माना जाए।

कार्यालय उद्योग निदेशालय, देहरादून की लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि विभाग द्वारा केंद्रीय पूंजी निवेश उपादान योजना 2013 के अंतर्गत इकाईयों को उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि के पश्चात उत्पादन तिथि से एक वर्ष के अंदर इकाई द्वारा प्लांट व मशीनरी पर किए गए खर्च के दावों के आधार पर इकाई द्वारा निवेश की लागत मानते हुये उपादान सहायता देने के क्रम मे गणना की गई।

उपरोक्त केंद्रीय पूंजी निवेश उपादान योजना 2013 की अधिसूचना के अनुसार उत्पादन कार्य हेतु प्लांट एवं मशीनरी पर इकाई द्वारा किए गए निवेश जिसके पश्चात उत्पादन प्रारम्भ होता है तथा जिस दिन उत्पादन शुरू होता है, उसे उत्पादन तिथि कहा जाता है। अतः निवेश उत्पादन तिथि तक होता है न की उसके बाद। उक्त

निवेश हेतु उपादान के लिए दावा उत्पादन तिथि एक वर्ष के अंदर न की उत्पादन तिथि के बाद एक वर्ष के अंदर इकाई द्वारा प्लांट एवं मशीनरी पर किया गया खर्च जोकि निवेश कि परिभाषा मे आच्छादित नहीं है, इकाई द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इस प्रकार उपरोक्त अधिसूचना के विपरीत विभाग द्वारा इकाईयों को उत्पादन तिथि के पश्चात उत्पादन तिथि से एक वर्ष के अंदर प्लांट एवं मशीनरी पर किए गए खर्च हेतु उपादान सहायता दिया गया जोकि गलत है ।

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में विभाग ने बताया कि "फा.स. 9(178)/2012-स्पे.पैकेज भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग) 378, उद्योग भवन, नई दिल्ली दिनांक 22 अप्रैल, 2015 के कार्यालय ज्ञापन के प्रस्तर-3 (ब) के अनुसार हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में लागू 2003 के पैकेज में सभी विचाराधीन दावों के मामलो में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से एक वर्ष तक, जो कि दावा प्रस्तुत करने की तिथि है, किए गए निवेश को उपादान के योग्य माना जाए । तदनुसार ही योजनान्तर्गत इकाई द्वारा नियत समयावधि एक वर्ष अथवा दावा प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो तक के पूंजी निवेश को उपादान हेतु गणना में लिया गया है" ।

विभागीय उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उल्लिखित अधिसूचना के प्रस्तर 5 से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा उपादान के दावे हेतु इकाई के वाणिज्य उत्पादन की तिथि से एक वर्ष के अंदर जिला उद्योग केंद्र को प्रस्तुत करना है, न की इकाई के वाणिज्य उत्पादन तिथि के पश्चात एक वर्ष के अंदर प्लांट एवं मशीनरी पर किए गए खर्च को उपादान के योग्य माना जाए ।

अतः उन सभी प्रकरणो में जिसमे विभाग द्वारा इकाईयों के वाणिज्य उत्पादन तिथि के पश्चात एक वर्ष के अंदर प्लांट एवं मशीनरी पर किए गए खर्च को उपादान के योग्य माना गया एवं उक्त खर्चे उपादान हेतु गणना में लिया गया इस आधार पर वितरित किए गए उपादान की वसूली 10 % ब्याज सहित नियमानुसार गलत तथ्यो के प्रस्तुति के कारण की जानी चाहिए ।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 6- प्लांट एवं मशीनरी पर किए गए निवेश रु0 801.20 करोड़ का वाणिज्य कर विभाग से सत्यापन किए बगैर उसके सापेक्ष रु0 120.18 करोड़ केंद्रीय पूंजी निवेश उपादान की अनियमित सहायता ।

As per the checklist claim of Central Capital Investment Subsidy Scheme 2003/2013 it is provided checks at serial no. 23 along with other checks that there is need of Sales Tax/VAT clearance certificate.

As per the policy of the above scheme after receiving the grant or subsidy, each industrial unit shall submit Annual Progressive Report about its working for period of 5 years after going into production.

As per para 4 of the notification All new industrial units and existing industrial units on their substantial expansion, would be eligible for Capital Investment Subsidy @ 15% of investment of Plant & Machinery, subject to a ceiling of Rs- 30 lakhs, Micro, Small and Medium enterprises would be eligible for Capital

Investment Subsidy @ 15% of the investment in plant & machinery subject to a ceiling of Rs. 50 lakh.

As per the para 11 of Central Capital Investment Subsidy scheme, 2003 if the central Government/State government concerned is satisfied that the subsidy or grant to an industrial unit has been obtained by misrepresentation as to an essential fact, furnishing of false information the central government/state government may, after giving opportunity to the unit concerned of being heard, ask the unit to refund the grant or subsidy already received.

Further as para 14 after the receiving the grant or subsidy, each industrial unit shall submit Annual Progress Report to the State Government about its working for a period of 5 years after going into production.

कार्यालय उद्योग निदेशालय, देहरादून की लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि दिनांक 17-07-2013 से 03-09-2016 तक 678 इकाईयों (विवरण संलग्न) को केंद्रीय पूंजी निवेश उपादान योजना के अंतर्गत रु0 1201798920.00 उद्योग विभाग के द्वारा स्वीकृत किया गया जिसके सापेक्ष रु0 748171527.00 वितरित किया गया । इस प्रकार उक्त इकाईयों द्वारा वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य में न्यूनतम रु0 8011992800.00 (15% of रु0 8011992800.00 = रु0 1201798920.00) प्लांट एवं मशीनरी के सापेक्ष निवेश किया गया ।

इकाई द्वारा उपरोक्त उपादान सहायता हेतु उद्योग विभाग में घोषित प्लांट एवं मशीनरी पर निवेश की धनराशि एवं राज्य के वाणिज्य कर विभाग मे दाखिल कर रिटर्न/विभाग द्वारा अंतिम कर निर्धारण आदेश मे दर्शाई गई उक्त प्लांट एवं मशीनरी के मूल्य में भिन्नता है। इस क्रम में लेखापरीक्षा के नमूना जांच में निम्नलिखित भिन्नता पाई गई-

1- eS0Z ds;j Iyl]jk;iqj vkS|ksfxd {ks= Hkxokuiqj }kjk fnukad 10@4@2008 esa iwWth fuos"k :0 84]13]174-00 ?kksf'kr djrs gq,s 15 izfr"kr :0 12]61]976-00 dk ykHk izkIr fd;k x;k gSA tcfd okf.kZT; dj foHkkx :Mdh esa bdkbZ }kjk o'kZ 2007&08 ls o'kZ 2009&10 rd dqy :0 7]02]227-00 dh IykaV ,oa e"khujh dk क्रय izkUrh;@vk;frr fd;k x;k gSaA

2- eSIIZ QSUVIh jk;iqj vkS|ksfxr {ks+= Hkxokuiqj }kjk ¼fnukad 30&3&2010½ rd :0 1]34]58]323-00 dk IykaV ,oa e"khujh esa iwWath fuos"k ?kksf'kr dj 15 izfr"kr dh nj ls :0 20]18]748-00 dk ykHk izkIr fd;k x;k gSA tcfd okf.kZT; dj dk;kZy; esa o'kZ 2009&10 esa :0 59]89]410-00 dh vk;kfrr ,oa izkUrh; ?kksf'kr dh x;h gSA

3- eSIIZ fLifjsx MsYI jk;iqj vkS|ksfxd {ks= Hkxokuiqj }kjk o'kZ 2009&10 esa :0 43]77]804-00 dh IykaV ,oa e"khujh ?kksf'kr djrsa gq, 15 izfr"kr :0 6]56]671-00 dk ykHk izkIr fd;k x;k gsSA tcfd okf.kZT; dj foHkkx esa o'kZ 2009&10 ,oa 2010&11 esa bdkbZ }kjk izkUrh;@vk;frr IykaV ,oa e"khujh dk dz; fd;k gh ugh FkkA

4- eSllZ bufQfuVh }kjk mRiknu fnukad 28@8@2008 ls fnuakd 27@8@2009 rd lykaV ,oa e"khujh ij iwWath fuos"k :0 70]43]077-00 ?kksf'kr fd;k x;k]ftl ij 15 izfr"kr dh nj ls :0 10]56]461-00 dk ykHk izkIr fd;k x;k gSA tcfd okf.kT; dj foHkkx }kjk O;kikj LFky dh losZ{k.k fjiksVZ fnukad 11@02@2013 esa okf.kT;d mRiknu ekg tuojh 2013 izkjEHk fd;k x;k gksuk crk;k x;k gSA

1- eSa0 Doklj ySCl izk0 fy0 [kljk u0 237 t vkS|ksfxd {ks= dqvkokyk nsgjknwu dh dsUnzh; iwWath fuos"k miknku nkok i=koyh dk voyksdu djus ij ik;k x;k fd bdkbZ }kjk ?kksf'kr LFkk;h iwth fuos"k :0 1]09]68]248-00 ij 15 izfr"kr dh nj ls :0 15]97]507-00 dh Lohd`fr iznku dj nh x;hA bl lEcU/k esa O;kijh dh o'kZ 2006&07 dh vfUre dj fu/kkZj.k i=koyh dk okf.kT; dj foHkkx nsgjknwu ls lR;kiu djus ij ik;k x;k fd bdkbZ }kjk QkeZ 16 ls dsoy :0 1]32]12]016-00 dh vk;frr vkS'kf/k;ksa dk dz; fd;k x;k gSA o'kZ 2006&07 esa rks lykaV ,oa e"khujh dk क्रय fd;k gh नहीं x;kA blfy;s feF;k dFku izLrqr djus ij :0 15]97]507-00 ,o 18 izfr"kr C;kt lfgr owlyh ;ksX; gSA

dsUnzh; iwWath fuos"k miknku ;kstuk nkok ls lEcfU/kr bdkbZ eSllZ Xykscy eSfMdhV fy0 [kljk la[;k 323 ,e0vkbZ0lSUV`y gksi Vkmu dSEi jksM lsykdqbZ nsgjknwu dh voyksdu djus ij ik;k x;k fd bdkbZ ds }kjk tks o'kZ 2008&09 ,oa 2009&10 esa क्रय lykaV ,oa e"khujh :0 2]87]88]491-00 dh ?kksf'kr dh x;h gSA ftl ij 15 izfr"kr :0 30-00 yk[k dk miknku izkIr fd;k x;k gSA bl lEcl/k esa okf.kT; dj dk;kZy; fodkl uxj esa ?kksf'kr क्रय dh x;h lykaV ,oa e"khujh ds lR;kiu esa ik;k x;k fd o'kZ 2008&09 vds{k.k fjiksVZ ys[kksa esa :0 45]050-00 fnukad 31@03@2009@ dks क्रय ?kksf'kr fd;k x;k FkkA o'kZ 2009&10 tcfd okf.kT; dj foHkkx esa QkeZ 16 ls dsoy :0 85]88]120-00 ?kksf'kr dh x;h gSA vr nksuksa o'kksZ esa dsoy :0 86]33]170-00 dh lykaV ,oa e"khusa bdkbZ }kjk क्रय dh x;h FkhA vUrj :0 2]01]55]321-00 dk vf/kd क्रय lykaV ,oa e"khujh esa fn[kkdj vf/kdre /kujkf"k :0 30-00 dks izkIr fd;k x;k FkkA vr% :0 30-00 yk[k miknku dh olwyh 18 izfr"kr C;kt lfgr fd;s tkus ;ksX; gSA

चूंकि राज्य सरकार का ही वाणिज्य कर विभाग है एवं उसके द्वारा ही उपरोक्त इकाइयों को उनके द्वारा दिये गए पते पर TIN आवंटन किया गया है अतः इकाई द्वारा घोषित प्लांट एवं मशीनरी का मूल्य इकाई द्वारा 5 साल तक उत्पादनरत रहने के दौरान इकाई द्वारा दाखिल टैक्स रिटर्न/विभाग द्वारा जारी फार्म 16 में दर्शाये गए प्लांट एवं मशीनरी का मूल्य/विभाग द्वारा जारी अंतिम कर निर्धारण आदेश में दर्शाये गए प्लांट एवं मशीनरी के मूल्यों को आसानी से मिलान किया जा सकता है। दोनों मूल्यों के भिन्नता के आधार पर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे राज्य में पूंजी निवेश की सुनिश्चिता एवं उसके उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।
लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में विभाग ने बताया कि "इकाई द्वारा घोषित प्लांट एवं मशीनरी में निवेशित धनराशि एवं राज्य के वाणिज्य कर विभाग में दाखिल कर रिटर्न/विभाग द्वारा अंतिम कर निर्धारण आदेश में दर्शाई गई मशीनरी के मूल्य की भिन्नता के सत्यापन का कोई प्राविधान नहीं है" ।
विभागीय उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के नमूना जांच में यह पाया गया कि संगत वर्ष में इकाई द्वारा प्लांट एवं मशीनरी के सापेक्ष निवेश की गई धनराशियाँ वाणिज्य कर विभाग एवं उद्योग विभाग में अलग-अलग

दर्शाई गई जो कि वाणिज्य कर विभाग में उद्योग विभाग की अपेक्षा काफी कम धनराशि दर्शाई गई जो इंगित करता है कि इकाई द्वारा वाणिज्य कर विभाग से जारी क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्लांट एवं मशीनरी के संबंध में मिथ्या विवरण के आधार पर जारी किया गया । ऐसे में इकाई द्वारा अनुदान किसी आवश्यक तथ्य के बारे में मिथ्या कथन, मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करके प्राप्त किया है तो अनुदान वापिस करने के लिए कह सकते है साथ ही इकाइयो को स्वीकृत दावा धनराशि की वसूली भारत सरकार के कार्यालय आदेश संख्या 3(7)/2013-SPS दिनांक 13 सितंबर, 2013 के अनुसार निर्धारित ब्याज दर 10% से करके सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा किए जाने योग्य है ।

अतः प्लांट एवं मशीनरी पर किए गए निवेश रु0 801.20 करोड़ का वाणिज्य कर विभाग से सत्यापन किए बगैर उसके सापेक्ष रु0 120.18 करोड़ केंद्रीय पूंजी निवेश उपादान की अनियमित सहायता का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 7- प्लांट एवं मशीनरी पर किए गए निवेश रु0 77.94 करोड़ का वाणिज्य कर विभाग से सत्यापन किए बगैर उसके सापेक्ष रु0 19.49 करोड़ राज्य पूंजी निवेश उपादान की अनियमित सहायता ।

fo”ks’k ,dhd`r vkS|ksfxd izksRlkgu uhfr 2008 ;Fkk la”kksf/kr 2011 ds vUrxZr fo”ks’k jkT; iwwaWath miknku lgk;rk ;kstuk fu;ekoyh 2008 ds izLrj 5 ds vuqlkj Jss.kh&, ds tuinksa esa LFkkfir gksus okys u;s m|eksa dks dk;Z”kkyk Hkou]e”khujh]la;= ,oa midj.kksa esa fd;s x;s vpy iwWath vpy iwWath fuos”k dk 25 izfr”kr]vf/kdre :0 30-00 लाख rdA

Js.kh&ch ds tuinksa es LFkkfir gksus okys u;s ik= m|eksa

¼1½ izns”k ds स्थायी ,oa ewy fuokfl;ksa }kjk LFkkfir fd;s tkus okys u;s m|eksa dks dk;Z”kkyk Hkou]e”khujh]la;= ,oa midj.kksa esa fd;s x;ss vpy iwWath fuos”k dk 25 izfr”kr] vf/kdre :0 30-00 yk[k rdA

¼2½ izns”k ds LFkkbZ ,oa ewy fuokfl;ksa ds vfrfjDr vU; m|fe;ksa }kjk LFkkfir fd;s tkus okys u;s m|eksa dks dk;Z”kkyk Hkou]e”khujh]la;= ,oa midj.kksa esa fd;s x;s vpy iwWath fuos”k dk 20 izfr”kr]vf/kdre :0 25-00 yk[k rdA

izLrj 10- ;fn jkT; ljdkj bl ckr ls larq’V gsS fd fdlh m|e us miknku gsrq fdlh vko”;d rF; ds ckjs esa feF;k dFku]feF;k tkudkjh izLrqr dh gS vFkok og m|e izkjEHk gksus ds 10 वर्षों ds vUnj mRiknu cUn dj nsrk gS]rks jkT; ljdkj dks ;g vf/kdkj

gksxk fd og m|e dks lquokbZ dk volj nsus ds mijkUr miknku lgk;rk okil djus ij fopkj dj ldrk है।

11- izLrj 10 ¼1 ls 4½dk vuqikyu u gksus ij miknku lgk;rk dh olwyh ,d eq"r rFkk Hkw&jktLo olwyh ds ln`"; 18 izfr"kr C;kt lfgr dh tk ldsxhA

dk;kZy; dh ys[kkijh{kk ds nkSjku ik;k x;k fd foRrh; 2014&15]2015&16,oa 2016&17 esa fo"ks'k jkT; iwWath miknku ds lkis{k dze"k% 74 bdkbZ;ksa dks :0 7]08]51]529-00] 66 bdkbZ;ksa dks :0 6]64]20]432-00 ,oa 36 bdkbZ;ksa dks :0 5]75]81]277-00 ¼fooj.k layXud½forjhr fd;k x;k FkkA bl izdkj mDr bdkbZ;ksa }kjk o'kZ 2014&15]2015&16 ,oa 2016&17 esa dze"k :0 28]34]06]116-00] :0 26]56]81]728-00 ,oa :0 23]03]25]108-00 lykaV ,oa e"khujh ds lkis{k U;qure fuos"k fd;k x;k Fkk] ftldk 25 izfr"kr dh nj ls vf/kdre :0 30-00 mDr ;kstuk ds vUrxZr iwWath miknku fn;k x;kA

foHkkx }kjk jkT; ds okf.kZT; dj foHkkx }kjk mu bdkbZ;ksa dks lEcfU/kr o'kZ esa tkjh vfUre dj fu/kkZj.k vkns"k @izi= 16 esa ?kksf'kr lykaV ,oa e"khujh ls feyku नहीं fd;k] tcfd bdkbZ }kjk m|ksx foHkkx esa ?kksf'kr lykaV ,oa e"khujh dk ewY; okf.kZT; dj foHkkx esa lEcfU/kr o'kZ esa ?kksf'kr lykaV ,oa e"khujh ds ewY; esa fHkUurk gSA इस क्रम में लेखापरीक्षा के नमूना जांच में निम्नलिखित भिन्नता पाई गई-

1-eS0 vEcs QkbVks,DlVS~DVl izk0 fy0 ग्राम tefj;k lhyh eYyh chjks[kky ftyk ikSMh x<oky bdkbZ dh fo"ks'k jkT; iwWath fuos"k miknku nkok ls lEcfU/kr i=koyh ds voyksdu djus ij ik;k x;k fd bdkbZ }kjk :0 2]35]33]339-00 dk iwWath fuos"k gksuk crk;k x;k FkkA ftlesa :0 80]45]769-00 dk Hkou]lykV ,o e"khujh :0 1]39]14]041-00]:0 15]73]529-00 vU; fofo/k LFkk;h iwWath fofu;kstu FkkA

m|ksx funs"kky; ds ia=kd l[;k 1540&lh fnuakd 19-07-2013 }kjk Lohd`r minku jkf"k :0 30-00 yk[k ds vkgj.k forj.k dh स्वीकृति Hkh iznku dj nh x;h Fkh bdkbZ }kjk ?kksf'kr lykaV ,oa e"khujh क्रय ls lEcfU/kr vfHkys[kksa dk lR;kiu okf.kZT; dj foHkkx dksV}kj ls djus ij ik;k x;k fd m|eh }kjk ?kksf'kr fnukad@o'kZ 2010&11 ,oa 2011&12 esa dze"k% :0 4]69]531-00 ,o :0 34]43]376-00 vFkkZr dqy :0 39]12]907-00 dh lykaV e"khu dk dz; izkUr cgkj ,oa izkUr ds vUnj ls ?kksf'kr fd;k FkkA m|eh }kjk vius dkjksckj ls lEcfU/kr lykaV ,ao e"khujh dh dz; ls lEcfU/kr tkudkjh dks egkizcU/kd dk;kZy; esa :0 1]00]01]134-00 vf/kd crkdj ;kstuk dk vfu;fer ykHk izkIr djk x;k FkkA

2- loZJh eSlIZ ,ukykWaftDl Vsd bf.M;k fy0 flxM~Mh dksV}kj dh jkT; iwWath miknku ls lEcfU/kr i=koyh dk voyksdu djus ij ik;k x;k fd bdkbZ }kjk fnukad 20@8@2009 ls bySDVSfDl xqMl] gS.M gksYM dEiw;Vj mRiknu crk;k x;k FkkA ftlesa bdkbZ }kjk :0 10]67]566-00 dh lykUV ,oa e"khujh dk क्रय ,oa vU; enksa :0 78]81]000-00 dk O;; ?kksf'kr fd;k x;kA dk;kZy; }kjk O;; n"kkZ;h x;h /kujkf"k dks mi;qDr ekurs gq,s 20 izfr"kr dh nj ls :0 17]89]713-00 dh nkok /kujkf"k ftldksa dk;kZy; }kjk lR;kfir fd;k x;k gSA bl lEcU/k esa m|eh }kjk ?kksf'kr :0 10]67]566-00 lykUV ,oa e"khujh क्रय dk lR;kiu okf.kT; dj foHkkx dksV}kj ¼ikSMh½ dk;kZy; ls djus ij ik;k x;k fd m|eh }kjk o'kZ 2007&08 ls o'kZ 2010&11 rd esa ek= :0 1]15]596-00 dh gh lykUV ,oa e"khujh dk क्रय fd;k x;k FkkA mijksDr rF;ksa ls Li'V gS fd m|eh }kjk vyx&vyx foHkkxks esa vius dkjksckj esa iz;qDr lykUV ,oa e"khujh dh ?kks'k.kk feF;k@xyr izLrqr dj fo"ks'k jkT; iwWth fuos"k miknku lgk;rk izkIr dh x;h FkhA

3 eSlIZ Jh gjs d`'.k eSVy b.MLV`ht] dksV}kj]fVu u0 05014244572 fofuekZrk & dkij ,oa ,Y;qewfu;e ok;j dks o'kZ 2016&17 esa राज्य iwWath fuos"k miknku ;kstuk 2008 ds vUrxZr foRrh; o'kZ 2014&15 esa lykV ,oa e"khujh :0 61]87]836-00 ,oa भवन :0 83]00]000-00 dqy LFkk;h fofu;kstu :0 1]44]87]836-00 ds lkis{k :0 25-00 yk[k dk miknku Lohd`r fd;k x;k FkkA bZdkbZ dk mRiknu fnukad 30@9@2014 ?kksf'kr fd;k x;kA bZdkbZ }kjk dkWij ,oa ,Y;qewfu;e ok;j ds fuekZ.k¼lkbt jsat 8 ,e0,e0 ls 0-001 ,e0,e0½ mDr gsrq izkjfEHkd dPps eky dh [kjhn lquhy ,ydksi b.MLVht vyoj jktLFkku ok;k buokbl la[;k 063 fnukad 10@7@2014 ls dkWij ok;j jkSM 8 ,e0,e0 :0 10]88]488-00 n"kkZ;h x;hA bl izdkj bZdkbZ }kjk tks dPpk eky [kjhnk x;k og mldk mRikn FkkA ,sls esa tc dPpk eky ,oa mRikn esa dksbZ vUrj ugh gS rks og fofuekZ.kd bZdkbZ dSls gSA fofuekZ.k u djus dh ifjfLFkfr esa iwWath fuos"k miknku dh Lohd`fr dk vkSfpR; gh नहीं FkkA क्योंकि tc bl lEcU/k esa okf.kZT; dj foHkkx dksV}kj ls ?kksf'kr lykaV ,oa e"khujh dk o'kZ 2014&15¼fnukad 30@9@2014½ dk lR;kiu djus ij ik;k x;k fd bdkbZ }kjk mRiknu ?kksf'kr frfFk rd dsoy :0 39]48]544-00 dh gh lykaV ,oa e"khujh dk क्रय fd;k x;k FkkA vr% bdkbZ }kjk :0 22]39]292-00(6187836 – 3948544) vf/kd dh lykaV ,oa e"khujh dh feF;k ?kks'k.kk djds iwWth miknku dk सहायता izkIr fd;k x;k FkkA

लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में विभाग ने बताया कि "इकाई द्वारा घोषित प्लांट एवं मशीनरी में निवेशित धनराशि एवं राज्य के वाणिज्य कर विभाग में दाखिल कर रिटर्न/विभाग द्वारा अंतिम कर निर्धारण आदेश में दर्शाई गई मशीनरी के मूल्य की भिन्नता के सत्यापन का कोई प्राविधान नहीं है" ।

विभागीय उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उद्योग निदेशालय के पत्रांक संख्या 3270-09 दिनांक 10-11-2014 के द्वारा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्रो को यह आदेश दिये गए थे कि समय-समय पर जारी निर्देशों का कठोरता से पालन करें और इकाईयों द्वारा दावा धनराशि के संबंध में दिये गए चार्टर अकाउंटेंट/चार्टर इंजीनियर के प्रमाण पत्रों का वास्तविक मूल्य का सत्यापन करने के बाद ही संतुति की कार्यवाही करे, निदेशालय को दावा भेजते समय यह ध्यान रखा जाए कि वास्तविक मूल्य का सत्यापन कर लिया गया है, किए गए सत्यापन की पुष्टि में आवश्यक कागजात संलग्नक कर दिये गए है । विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियो द्वारा इकाईयों की घोषित प्लांट एवं मशीनरी जिस पर दावा धनराशि की मांग की गई थी, उनका सत्यापन उत्तराखंड वाणिज्य कर विभाग से कराये बिना ही दावा धनराशि को संतुत कर निदेशालय को स्वीकृति एवं भुगतान हेतु प्रेषित कर दिये गए । निदेशालय द्वारा भी जारी आदेशों के अनुपालन की गई सत्यनिष्ठा अभिलेखों की जांच किए बिना ही राज्य स्तरीय समिति के समक्ष दावो को प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त कर ली गई । उक्त दावा धनराशिया राज्य स्तरीय समिति के समक्ष मिथ्या दावों को प्रस्तुत करके स्वीकृति कराई गई थी । अतः इकाइयों को स्वीकृत दावा धनराशि की वसूली उल्लिखित नियमानुसार भू-राजस्व वसूली के सदृश्य 18 प्रतिशत ब्याज सहित किए जाने योग्य है ।

अतः प्लांट एवं मशीनरी पर किए गए निवेश रु0 77.94 करोड़ का वाणिज्य कर विभाग से सत्यापन किए बगैर उसके सापेक्ष रु0 19.49 करोड़ राज्य पूंजी निवेश उपादान की अनियमित सहायता का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 8:- नियमानुसार वसूली की कार्यवाही न किए जाने के फलस्वरूप `1132.00 लाख की वसूली न किया जाना ।

कार्यालय उद्योग निदेशालय, देहरादून की लेखापरीक्षा के दौरान पूर्व में वितरित ऋण जो कि सम्पूर्ण उत्तराखंड से संबन्धित है, के परिपेक्ष्य में पत्रावलियो की जांच मे पाया कि एकीकृत मार्जिन मनी ऋण योजना में ` 633.58 लाख, जिला उद्योग केंद्र ऋण योजना में ` 156.77 लाख, जिला उद्योग केंद्र मार्जिन मनी ऋण योजना में ` 131.76 लाख, विकास केंद्र ऋण योजना में ` 86.54 लाख, आयुक्त ऋण योजना में ` 13.04 लाख, सीमांत ऋण योजना में ` 4.40 लाख, मुख्यालय निधि ऋण योजना में ` 8.95 लाख, विकास केंद्र

मार्जिन मनी ऋण योजना में ` 9.91 लाख, आर0ई0पी0 ऋण योजना में ` 6.58 लाख, हस्तकला ऋण योजना में ` 1.48 लाख, औद्योगिक सहकारी समिति ऋण योजना में ` 53.07 लाख, अंतरजातीय विवाह ऋण योजना में ` 4.91 लाख, रा0सह0विकास निगम ऋण योजना में ` 16.11 लाख तथा हरिजन एवं कमजोर वर्ग की सहकारी समितियों को अंशपूर्ण ऋण योजना में ` 4.90 लाख अर्थात उक्तलिखित 14 योजनाओं में दिये गए ऋण मद में आतिथि तक (ब्याज सहित) ` 1132.00 लाख की वसूली किया जाना अवशेष है| एकीकृत मार्जिन मनी ऋण जो की ` 633.58 लाख मे से ` 359.79 लाख की वसूली हेतु आतिथि तक कोई आर0सी0 जारी करवाने की कार्यवाही नहीं की गई है। अन्य 13 योजनायो में बकाया धनराशि रु0 498.42 लाख के सापेक्ष कितने मामले मे आर0सी0 जारी की गई है, इसका कोई विवरण/सूचना नहीं है। इससे स्पष्ट है कि निदेशालय स्तर पर बकाया धनराशि की वसूली हेतु गंभीरता नहीं बरती जा रही है। जिस कारण आतिथि तक `1132.00 लाख की वसूली हेतु यथोचित कार्यवाही हेतु निदेशालय स्तर से अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित नहीं किया गया है।(विवरण संलग्न) यदि विभाग के द्वारा यथासमय/यथा नियमानुसार वसूली की कार्यवाही हेतु निर्देश/आदेश जारी की जाती तो, धनराशियाँ वसूल ली जाती, अर्थात विभाग की उदासीनता के कारण प्रश्नगत धनराशियाँ आथिति तक वसूल नहीं की जा सकी| इसे इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि ***"प्रकरण काफी पुराने हैं, अतः वसूली की कार्यवाही की जाएगी| "*** इससे स्पष्ट है कि विभाग द्वारा वसूली नियमावली के अनुसार वसूली की कार्यवाही नहीं की गई है अतः नियमानुसार वसूली की कार्यवाही न किए जाने के फलस्वरूप `1132.00 लाख की वसूली न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

Hkkx nks ¼c½

izLrj 9: :0 30.00 yk[k dh nksuks bdkbZ;ksa ls dsUnzh; iwWath fuos"k miknku dh olwyhfd;k tkuk A

As per the para 11 of Central Capital Investment Subsidy scheme,2003 if the central Government/State government concerned is satisfied that the subsidy or grant to an industrial unit has been obtained by misrepresentation as to an essential fact, furnishing of false information the central government/state government may, after giving opportunity to the unit concerned of being heard, ask the unit to refund the grant or subsidy already received.

Further as para 14 after the receiving the grant or subsidy, each industrial unit shall submit Annual Progress Report to the State Government about its working for a period of 5 years after going into production.

As per Govt. of India guidelines/Instructions cash payment have not been considered. Plant&Machinery acquired after the registration and with-in one year from the date of commencement of commercial Production only has been considered. In bank finance cases fixed capital investment in plant& machinery as per bank appraisal has been considered as eligible for calculating CCISS. On the basis of the above, the amount of 15% subsidy to which you are entitled in determined at Rs. you are entitled in determined at Rs. 30.00 lakhs.

eSa0 Doklj ySCl izk0 fy0 [kljk u0 237 t vkS|ksfxd {ks= dqvkokyk nsgjknwu dh dsUnzh; iwWath fuos"k miknku nkok i=koyh dk voyksdu djus ij ik;k x;k fd bdkbZ }kjk ?kksf'kr LFkk;h पूंजी fuos"k :0 1]06]50]048-00 ij 15 izfr"kr dh nj ls funs"kky; ds i=kad la[;k1858@DI(v)-CIS/2013-14 fnukad 30 tkSykbZ 2013 }kjk :0 15]97]507-00 dh Lohd`fr iznku dj nh x;hA

bZdkbZ }kjk tks IykaV ,oa e"khujh ij iwWth fuos"k :0 1]06]50]048-00 dk O;; o'kZ 2006&07 esa gksuk n"kkZ;k x;k FkkA bl lEcU/k esa okf.kT; dj foHkkx nsgjknwu ls lR;kiu djus ij ik;k x;k fd bdkbZ }kjk o'kZ 2006&07 esa QkeZ 16 ls dsoy :0 1]32]12]016-00 dh vk;frr vkS'kf/k;ksa dk क्रय fd;k x;k gSA o'kZ 2006&07 ds vfUre dj fu/kkZj.k vkns"kkuqlkj IykaV ,oa e"khujh dk क्रय fd;k gh ugh x;kA blfy;s O;kikjh }kjk feF;k dFku izLrqr djds dsUnzh; iwWth fuos"k lgk;rk dk ykHk izkIr djk x;k Hkqxrku dh x;h /kujkf"k 15]97]507-00 ij 10 izfr"kr C;kt lfgr tek frfFk rd olwyh ;ksX; gSA

bl lEcU/k esa foHkkx ls iwNus ij crk;k x;k fd ys[kkijh{kk ny }kjk bdkbZ }kjk izLrqr fcy okmpj ds =qfViw.kZ gksus ds lEcU/k esa mBk;h xbZ vkifRr ds lEcU/k esa dk;kZy;/;{k ds Lrj ij ijh{k.k ij ;fn dksbZ rF; feF;k vFkok =qfViw.kZ ik;k tkrk gS] rks इकाई }kjk fn;s x;s

v.MjVsकिंग@vuqcU/k&i= ds vk/kkj ik olwyh dh dk;Zokgh ij fopkj fd;k tk ldrk gSA

foHkkx mRrj ekU; नहीं gSa] क्योंकि ys[kkijh{kk ds nkSjku foHkkx ds laKku esa vkfMV eseksa tkjh djds voxr djk;k x;k Fkk ftl ds ifjis{k esa foHkkx }kjk dgk x;k fd dk;kZy;/;{k ds Lrj ij ijh{k.k ij ;fn dksbZ rF; feF;k vFkok =qfViw.kZ ik;k tkrk gS] rks इकाईZ }kjk fn;s x;s अण्डरटेकिंग@vuqcU/k&i= ds vk/kkj ik olwyh dh dk;Zokgh ij fopkj fd;k tk ldrk gSA ys[kkijh{kk }kjk blfy;s gh foHkkx ds laKku esa yk;k x;k Fkk fd bdkbZ }kjk feF;k ?kks'k.kk djds dsUnzh; ,oa fo"ks'k jkT; iwWath fuos"k miknku dk ykHk izkIr fd;k x;k gS] blfy;s mDr /kujkf"k dh olwyh miknku izkIr bdkbZ ls Hkkjr ljdkj ds i=kad la[;k 3(7)/2013-SPS dated 13th September ,2013 esa izko|kfur C;kt 10 izfr"kr ls x.kuk ¼ekg twu 2017½ rd :0 30-00yk[k ;k tek frfFk rd fu/kkZfjr C;kt dh x.kuk djds ys[kk"kh'kZ esa tek dh tk;sA

vr% izdj.k laKku esa yk;k tkrk gSA

भाग-III

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
46/2007-08	-	1,2,3
23/2012-13	-	1,2
30/2014-15	-	1
33/2015-16	-	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
46/2007-08	भाग-II 'ब' प्रस्तर- 01,02,03		विभाग का उत्तर तर्क संगत नहीं है अतः प्रस्तर तथावत रखा जा सकता है।	
23/2012-13	भाग-II 'ब' प्रस्तर-01,02			
30/2014-15	भाग-II 'ब' प्रस्तर-01			

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-शून्य-

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **निदेशक, उद्योग निदेशालय, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)		

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **निदेशक, उद्योग निदेशालय, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (संबंधित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र-2